**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1429**

**सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)**

**गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ**

**†1429. डॉ. शशि थरूरः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब तक गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिकों को वास्तव में प्रदान किए गए किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभार्थियों की संख्या, प्रदान किए गए लाभों के प्रकार (स्वास्थ्य, दुर्घटना, विकलांगता, वृद्धावस्था) और लाभों की प्रत्येक श्रेणी को लागू करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एग्रीगेटर्स का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अनिवार्य रूप से अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना शुरू कर दिया है और यदि नहीं, तो देरी के कारण और प्रस्तावित कार्रवाई क्या है; और

(घ) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या और उन श्रमिकों का ब्यौरा क्या है जो 90-दिन या 120-दिन की सीमा के कारण पात्र और अपात्र पाए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है।

इस संहिता द्वारा जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान किया गया है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान करती है, जिसके लिए एक स्रोत एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार के 1 से 2 प्रतिशत के बीच एग्रीगेटर्स का अंशदान शामिल है, जो ऐसे कामगारों को एग्रीगेटर द्वारा भुगतान की गई या देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन है। इस संहिता में गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

जारी–2/--

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के सृजन करना है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी शुरू किया गया है, जिसमें एक पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाने के लिए की गई है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों की राज्यवार संख्या अनुबंध -क में दी गई है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित प्लेटफॉर्म कामगारों का ब्यौरा अनुबंध-ख में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 30.12.2025 को सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2025 पर मसौदा संहिता को अधिसूचित किया है, जिसमें एकल या एक से अधिक एग्रीगेटर्स के साथ उनके जुड़ाव और सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में पात्रता मानदंड भी शामिल हैं।

** ******

**अनुबंध -क**

**"गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ" के संबंध में डॉ शशि थरूर द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 1429 **के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों की राज्यवार संख्या (दिनांक 02.02.2026 तक की स्थिति अनुसार)

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | पंजीकरण संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 195 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 39,233 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 692 |
| 4 | असम | 27,610 |
| 5 | बिहार | 1,10,091 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2,671 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 6,147 |
| 8 | दिल्ली | 49,672 |
| 9 | गोवा | 924 |
| 10 | गुजरात | 35,023 |
| 11 | हरियाणा | 20,433 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 1,873 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 3,512 |
| 14 | झारखंड | 16,003 |
| 15 | कर्नाटक | 38,002 |
| 16 | केरल | 11,231 |
| 17 | लद्दाख | 48 |
| 18 | लक्षद्वीप | 4 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 34,952 |
| 20 | महाराष्ट्र | 1,35,393 |
| 21 | मणिपुर | 696 |
| 22 | मेघालय | 815 |
| 23 | मिज़ोरम | 147 |
| 24 | नागालैंड | 570 |
| 25 | ओडिशा | 16,889 |
| 26 | पांडिचेरी | 479 |
| 27 | पुदुचेरी | 8 |
| 28 | पंजाब | 15,363 |
| 29 | राजस्थान | 38,560 |
| 30 | सिक्किम | 321 |
| 31 | तमिल नाडु | 32,148 |
| 32 | तेलंगाना | 30,069 |
| 33 | दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव | 137 |
| 34 | त्रिपुरा | 2,064 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 1,31,338 |
| 36 | उत्तराखंड | 6,209 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 54,968 |

**अनुबंध -ख**

**"गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ" के संबंध में डॉ शशि थरूर द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1429 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 02.02.2026 तक की स्थिति अनुसार पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित प्लेटफॉर्म कामगारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | योजनाएं | नामांकन |
|---|---|---|
| 1 | वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) | 5,67,625 |
| 2 | प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) | 15,722 |
| 3 | विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएएम जी) | 58,735 |
| 4 | प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएई-जी) | 7,523 |
| 5 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) | 191 |
| 6 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) | 480 |
| 7 | प्रधानमंत्री आवास योजना - अर्बन (पीएमएवाई -यू) | 2,972 |
| 8 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | 47 |
| 9 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) | 23,825 |
| 10 | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई ) | 1,28,863 |
| 11 | आयुष्मान भरत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) | 1,42,270 |
| 12 | प्रधानमंत्री किसन सम्मान निधि (पीएम-किसान) | 50,155 |
| 13 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) | 3,636 |

****